एमटीएनएल/सीओ/जीएम (एचआर) /वीआरएस/एनई/2016-17
दिनांक: 08 नवंबर, 2019

कार्यालय आदेश

विषय:- एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019

दूरसंचार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0-30-04/2019-पीएसयू अफेयर्स दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 तथा एमटीएनएल में 04.11.2019 को परिपत्र संकल्प के माध्यम से निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसरण में एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना- 2019 को एतद्वारा दिनांक: 04.11.2019 से शुरू किया जाता है और यह दिनांक: 03.12.2019 को सायं 5:30 बजे तक लागू रहेगी।

योजना का विवरण आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न है।

वरिष्ठ महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं विधि)

सेवा में,
कार्यकारी निदेशक
एमटीएनएल, दिल्ली/ मुंबई

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग, दूरसंचार विभाग
2. अपर सचिव (टी), दूरसंचार विभाग
3. सीएमडी, एमटीएनएल/सीएमडी, बीएसएनएल/सीएमडी, टीसीआईएल/सीएमडी, आईटीआई
4. एमटीएनएल निदेशक मंडल के सभी निदेशक
5. सचिव (डीपीई)
6. सदस्य (सेवाएं)/सदस्य (वित्त), दूरसंचार विभाग
7. वरिष्ठ उप महानिदेशक (स्थापना)/ वरिष्ठ उप महानिदेशक(एसयू)- दूरसंचार विभाग
8. महाप्रबंधक (वित्त), निगम कार्यालय/दिल्ली इकाई/मुंबई इकाई
9. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली/मुंबई- व्यापक परिचालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
10. कंपनी सचिव
11. बहुमत प्राप्त यूनियन के महासचिव दिल्ली इकाई/मुंबई इकाई
12. अतिरिक्त प्रति

एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019

एमटीएनएल के कार्मिकों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1. **लघु शीर्षक:**
इस योजना का नाम 'एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019' होगा।

2. **उद्देश्य:**
इस योजना का उद्देश्य अधिवर्षिता (सुपरएनुएशन) की सामान्य तारीख से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले पात्र कार्मिकों को आकर्षक लाभ प्रदान करके एमटीएनएल के मानव संसाधन को इष्टतम बनाना तथा उचित आकार देना है।

3. **परिभाषाएं:**
इस योजना में, जब तक संदर्भ की अन्य अपेक्षा न हो,

(ए) "विलयित कार्मिक'' से तात्पर्य ऐसा सरकारी सेवक,जो एमटीएनएल में स्थायी रूप से विलयित किया गया हो।

(बी) "नियंत्रण अधिकारी'' से तात्पर्य उप मंडल अभि./उप प्रबं. (अथवा समकक्ष) अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी, जिनके अंतर्गत कार्मिक तैनात है।

(सी) "सक्षम प्राधिकारी'' से तात्पर्य एमटीएनएल के नियमों के अनुसार संबंधित श्रेणी के कार्मिकों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी।

(डी) इस योजना के लिए "अधिवर्षिता की तिथि'' से तात्पर्य अधिवर्षिता की वह तिथि, जिसमें वर्तमान नियमों के अनुसार 60 वर्ष की आयु को अधिवर्षिता की आयु माना गया है।

(ई) "सीधे भर्ती'' से तात्पर्य है वह कार्मिक, जिन्हें एमटीएनएल द्वारा 01.04.1986 को अथवा उसके बाद सीधे भर्ती किया गया।

(एफ) "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि'' से तात्पर्य वह तिथि जो खंड 4 में बताई गई है।

(जी) "पात्र कार्मिक'' से तात्पर्य उस कार्मिक से है जो इस योजना के खंड 5 में परिभाषित पात्रता मानदंड के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने के लिए पात्र है तथा इसमें इस योजना की अधिसूचना की तिथि पर अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर गए अथवा उधार (लोन) के आधार पर एमटीएनएल से बाहर तैनात एमटीएनएल के सभी पात्र कार्मिक भी शामिल हैं।

(एच) "विद्यमान नियमों'' से तात्पर्य इस योजना की अधिसूचना की तिथि पर लागू एमटीएनएल के नियम अथवा एमटीएनएल के कार्मिकों पर लागू भारत सरकार के नियम।

(आई) "परिवार'' से "तात्पर्य ऐसा परिवार जैसा केंद्रीय सिविल सेवाएं पेंशन नियमावली 1972 में परिभाषित है।

(जे) "वेतन'' से तात्पर्य मूल वेतन तथा उस पर महंगाई भत्ता, जैसा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि पर पर लागू हो ।

(के) "सेवा'' से तात्पर्य केंद्रीय सिविल सेवाएं पेंशन नियमावली 1972 के लिए अर्हक सेवा अवधि तथा आगे जैसा कार्मिक(कों) की संबंधित श्रेणी के लिए इस योजना के खंड 6 में दी गई परिभाषा के अनुसार, से है।

(एल) "योजना'' से तात्पर्य है 'एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019'

एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019

4. **योजना का प्रचालन:**
इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि 31.01.2020 होगी। यह योजना इसके अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प मांगे जाने के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी तथा नीचे बताई गई तिथियों के अनुसार प्रचालन में रहेगी:

(ए) विकल्प के शुरू होने की तिथि:04.11. 2019

(बी) विकल्प देने की अंतिम तिथि: 03.12.2019 को अपराह्न 05:30 बजे तक

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए कृपया अपनी नियंत्रण इकाई से संपर्क करें। नमूना प्रपत्र संलग्न है।

5. **पात्रता मानदंड:**

एमटीएनएल के ऐसे सभी नियमित तथा स्थायी कार्मिक (विलयित तथा सीधे भर्ती कार्मिक दोनों), जिसमें इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विकल्प मांगे जाने के लिए अधिसूचना जारी होने की तिथि पर अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर गए अथवा उधार (लोन)/अनौपचारिक/प्रतिनियुक्ति आधार पर एमटीएनएल से बाहर तैनात कार्मिक भी शामिल हैं, जिनकी आयु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अधिसूचित प्रभावी तारीख को 50 वर्ष अथवा अधिक हो, इस योजना के अंतर्गतस्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण: निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित कार्मिक इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए पात्र नहीं होंगे:

(i) एमटीएनएल में प्रतिनियुक्ति/मानित प्रतिनियुक्ति/उधार(लोन) के आधार पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी /अन्य संगठनों के कार्मिक।

(ii) ऐसे कार्मिक जिनकी सेवाएं लोकहित में स्थायी रुप से केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य संस्थाओं को अंतरित कर दी गई हों।

(iii) ऐसे कार्मिक जो इस योजना के लागू होने से पहले अन्य संगठनों में स्थायी रूप से आमेलित (एब्जोर्ब) हो चुके हैं।

(iv) आकस्मिक कामगार तथा संविदा कार्मिक।

(v) ऐसे कार्मिक जो इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि से पहले विद्यमान नियमों के अंतर्गत अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए हों/ सेवानिवृत्त हो रहे हों/सेवा से त्यागपत्र दे दिया हो/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो।

6. **हितलाभ:** इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कार्मिक निम्नलिखित हितलाभों को प्राप्त करने के हकदार होंगे और अन्य किसी हितलाभ के नहीं ।

एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019

6.1 **एकमुश्त मुआवजा अथवा अनुग्रह राशि:**

(ए) किसी पात्र कार्मिक के लिए अनुग्रह राशि सेवा के पूर्ण किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे कार्मिक के 35 दिन के वेतन तथा अधिवर्षिता तक शेष बची सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसे कार्मिक के 25 दिन के वेतन के बराबर होगी।

बशर्ते आगे यह कि अनुग्रह राशि मुआवजा उस वेतन की कुल राशि से अधिक नहीं होगा जो ऐसा कार्मिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख से अधिवर्षिता तक शेष बची सेवा अवधि के दौरान वर्तमान स्तर (अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख पर मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता) पर प्राप्त करता/करती।

बशर्ते इसके आगे यह कि अनुग्रह राशि प्रतिपूर्ति खंड 6.1(सी) तथा 6.1(डी) के अधीन होगी।

(बी) गणना के लिए एक दिन का वेतन ऐसे कार्मिक के मासिक वेतन में 30 दिन का भाग देकर आई राशि के बराबर होगा। वर्ष के हिस्से के लिए की गई/बची हुई सेवा के लिए अनुग्रह राशि की गणना अनुपातिक (प्रोराटा) आधार पर की जाएगी।

(सी) **नियम 37ए के अंतर्गत एमटीएनएल में विलयित संयुक्त सेवा पेंशनभोगियोंकोअनुग्रह राशि का भुगतान:** ऐसा/ऐसे पात्र कार्मिक जो केंद्रीय सिविल सेवाएं पेंशन नियमावली 1972 के नियम 37-ए के अंतर्गत दूरसंचार विभाग तथा एमटीएनएल में की गई संयुक्त सेवा के लिए पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, उन्हें देय अनुग्रह राशि आगे उस राशि तक सीमित होगी जो पेंशन की कुल राशि (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख के बाद की अगली तारीख पर उस दिन संराशीकरण के बिना मूल पेंशन तथा महंगाई राहत) को मिलाने के बाद आई राशि हो, जो ऐसा पात्र कार्मिक अधिवर्षिता की तिथि तक शेष बची सेवा के लिए

प्राप्त करता/करती।

अस्थायी दर्जा मजदूर (टीएसएम) योजना के माध्यम से नियमित किए गए कर्मचारियों के मामले में अनुग्रह राशि की गणना के लिए अस्थायी दर्जा मजदूर (टीएसएम) योजना के माध्यम से नियमित किए गए कर्मचारियों के मामले में अनुग्रह राशि की गणना के लिए अस्थायी दर्जा मजदूर के रूप में उनकी कुल सेवा अवधि का 50% गणना में लिया जाएगा।

बशर्ते आगे यह कि पात्र कार्मिक(कों) को देय अनुग्रह राशि वर्तमान स्तर पर कुल वेतन जो कार्मिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख से अधिवर्षिता तक प्राप्त करता/करती, के 125% से अधिक न हो।

(डी) **प्रोराटा सेवा के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान:** उन कार्मिकों के मामले में जिन्होंने एमटीएनएल में अपने विलयन से पहले दूरसंचार विभाग में की गई सेवा की अवधि के लिए सरकारी पेंशन का विकल्प दिया था और पहले ही भारत सरकार से प्रोराटा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, पात्र कार्मिकों की अनुग्रह राशि की गणना केंद्रीय सरकार तथा एमटीएनएल में की गई संयुक्त अर्हक सेवा के आधार पर की जाएगी तथा इसी तरह रखे गए संयुक्त सेवा पेंशनभोगियों (पूर्ण की गई तथा शेष बची सेवा के वर्षों के संदर्भ में) द्वारा प्राप्त की जाने योग्य अनुग्रह राशि से अधिक नहीं होगी।विलयित पात्र प्रोराटा पेंशनभोगियों के लिए अनुग्रह राशि की गणना भारत सरकार तथा एमटीएनएल में की गई पूरी सेवा को हिसाब में लेते हुए उनकी पेंशन को नोशनल आधार पर लेते हुए की जाएगी, जैसे उतने ही वर्ष की पूर्ण की गई तथा शेष बची सेवा वाले संयुक्त सेवा पेंशनभोगियों के मामले में लागू है।

(ई) नियम 37 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों सहित 01.04.1986 को अथवा उसके बाद एमटीएनएल द्वारा सीधे भर्ती किए गए कार्मिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान: जिन कार्मिक(कों) को एमटीएनएल ने 01.04.1986 को अथवा उसके बाद सीधे भर्ती किया है उनकी अनुग्रह राशि की गणना एमटीएनएल में उनकी नियुक्ति के बाद की गई सेवा के लिए पैरा 6.1(ए) तथा (बी) के अनुसार की जाएगी।

बशर्ते आगे यह कि उनके मामले में खंड 6.1 (सी) तथा 6.1 (डी) के अनुसार अनुग्रह राशि को आगे सीमित कर देने के संदर्भ में प्रावधान लागू नहीं होगा।

(एफ) इस योजना के अंतर्गत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को अनुग्रह राशि का भुगतान 50% प्रत्येक की दो समान किश्तों में किया जाएगा। पहली किश्त का भुगतान वित्त वर्ष 2019-20 में किया जाएगा तथा दूसरी किश्त का भुगतान वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में किया जाएगा।

(जी) अनुग्रह राशि तथा उपदान का भुगतान कार्मिक के विरुद्ध बकाया देयों की वसूली तथा भुगतान की तिथि पर लागू आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती के अधीन होगा।

6.2 सेवानिवृत्ति हितलाभ:

योजना के खंड 6.1 के अनुसार एकमुश्त मुआवजे अथवा अनुग्रह राशि के अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक विद्यमान नियमों के अंतर्गत उक्त कार्मिक(कों) पर लागू सेवानिवृत्ति हितलाभों एवं अन्य हितलाभों के हकदार होंगे। इन हितलाभों का भुगतान निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा:

(ए) **पेंशन/ पारिवारिक पेंशन:** इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि की अगली तारीख से पेंशन/ पारिवारिक पेंशन, जो भी लागू हो, के हकदार होंगे तथा यह विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकृत की जाएगी।
बशर्ते यह कि ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 तथा ईपीएस 1995 से संचालित कार्मिक(कों) की पेंशन लागू नियमों के अनुसार प्रशासित होगी।

(बी) **सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी)**

(i) **उन कार्मिक(कों) को आस्थगित उपदान का भुगतान जिन्होंने संयुक्त सेवा पेंशन के लिए विकल्प दिया तथानियम 37ए के अंतर्गत एमटीएनएल में विलयित किए गए:** जिन कार्मिक(कों) को केंद्र सरकार से एमटीएनएल में विलयित किया गया तथा संयुक्त सेवा पेंशन के लिए विकल्प दिया है उन्हें देय उपदान की गणना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि तक उनके द्वारा केंद्रसरकार तथा एमटीएनएल में की गई संयुक्त अर्हक सेवा के आधार पर की जाएगी।

बशर्ते यह किस्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि को 55 वर्ष से अधिक आयु के कार्मिक(कों) के लिए उपदान का भुगतान ऐसे कार्मिक के 60 वर्ष की आयु (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश की तारीख को अधिवर्षिता आयु) प्राप्त होने पर किया जाएगा।

बशर्ते यह किउपदान का ऐसा भुगतान 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर माह के अंदर किया जाएगा।

बशर्ते यह किऐसे कार्मिक जो वर्तमान में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि को 55 वर्ष अथवा उससे कम आयु के हैं, उन्हें उपदान का भुगतान माह फरवरी, 2025 में किया जाएगा।

(ii) **प्रोराटा सेवा पेंशनभोगियों कोउपदान (ग्रेच्युटी) राशि का भुगतान:** ऐसे कार्मिक जिन्होंने सरकार से एमटीएनएल में विलयन लिया है तथा प्रोराटा सेवा पेंशन का विकल्प दिया है उनको देय उपदान की गणना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक एमटीएनएल में उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा के आधार पर की जाएगी।

इन कार्मिकों को इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात उपदान का भुगतान एमटीएनएल द्वारा बिना किसी देरी के उन पर लागू वर्तमान नियमावली तथा प्रक्रियाओं के अनुसार विद्यमान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

<u>एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019</u>

(iii) **सीधे भर्ती तथा नियम 37 के अंतर्गत नियुक्त किए गए कार्मिकोंको उपदान (ग्रेच्युटी) र भुगतान:** एमटीएनएल द्वारा सीधे भर्ती किए गए कार्मिक(कों) को देय उपदान की गणना एमटीए उनकी नियुक्ति से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक उनके द्वारा की गई अर्हक सेवा के आधार जाएगी:

बशर्ते कि ऐसे कार्मिक(कों) के एमटीएनएल में आने से पहले पूर्ववर्ती संगठन(नों) में की गई सेवा कोउपदान लाभों के लिए हिसाब में नहीं लियाजाएगा।

बशर्ते कि ऐसे कार्मिक (कों) कोस्वैच्छिकसेवानिवृत्ति के पश्चात उपदान का भुगतानएमटीएनएल द्वारा बिना कि देरी केउन पर लागू वर्तमान नियमावली तथा प्रक्रियाओं के अनुसारविद्यमान निर्धारित समय सीमा केभीतर कि जाएगा।

(iv)) इस योजना के अंतर्गत खंड 6.2 (बी) (i) के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों को आस्थगित उपदान राशि पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख से तब तक प्रचलितजीपीएफ दरों (वर्तमान में 7.9%) पर सामान्य ब्याज का भुगतान किया जाएगा जब तक उपदान निर्मुक्त नहीं किया जाता।

(v) योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी (यों) की भुगतान कीदेय तिथि से पूर्व मृत्यु की स्थिति में, आस्थगितउपदानऐसेपेंशनभोगी के परिवार अथवानामिती/ कानूनी उत्तराधिकारी (पारिवारिक पेंशनभोगी के न होने पर), जैसा भी मामला हो, को इस योजना के खंड 6(बी) (iv) के अनुसार भुगतान की तारीख तक लागू ब्याज सहित तत्काल निर्मुक्त किया जाएगा।

(vi) योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख पर कार्मिक को देय उपदान की राशि के बारे में संबंधित पेंशन स्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक को सूचित किया जाएगा।

(सी) **पेंशन संराशीकरण (कम्यूटेशन) :**

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख पर 55 वर्षअथवा उससे अधिक आयु के विलयित कार्मिक, जिन्होंने दूरसंचार विभाग और एमटीएनएल में संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन का विकल्प दिया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर पेंशन के संराशीकरणके लिए केवल तभी पात्र होंगे जब ऐसा/ऐसे कार्मिक60 वर्ष की आयु (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की तारीख पर अधिवर्षिता आयु) प्राप्तकरता/करती है।

बशर्ते कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख पर 55 वर्ष अथवा उससे कम आयु के अन्य कामिकों के लिएपेंशन संराशीकरण की अनुमति केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन संराशीकरण) नियमावली,1981 के वर्तमान नियमों के आंशिक रियायत में 01.02.2025 से दी जाएगी। पेंशन संराशीकरण के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को उस समय विद्यमान नियमों के अनुसार स्वीकृतिदाता प्राधिकारी को आवेदन करना होगा।

बशर्ते कि कर्मचारी द्वारा पेंशन संराशीकरण के लिए विकल्प देने तक उन्हें स्वीकार्य पूर्ण पेंशन राशिका भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशनसंराशीकरण के लिए कार्मिक(कों) के एक बार पात्र होने पर पेंशन संराशीकरण केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशनसंराशीकरण) नियमावली, 1981 द्वारा शासित होगातथा ऐसा/ऐसे कार्मिक संराशीकरणके लिए पात्र होने की तारीख से एक वर्ष तक चिकित्सास्वस्थता प्रमाणपत्र जमा किए बिना पेंशनसंराशीकरणके लिए पात्र होगा/होंगे।

आगे बशर्ते कि एक वर्ष के पश्चात चिकित्सा स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर संराशीकरणकारक संराशीकरणकी तारीख पर ऐसे कार्मिक(कों) की आयु के अनुसार लागू होगा।

(डी) **अर्जित अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश कानकदीकरण:** योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिक एमटीएनएल की विद्यमान नियमावली के अनुसार 'अर्जित अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश के नकदीकरण' के हकदार होंगे।

(ई) **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पश्चात निवास के स्थान कीयात्रा के लिए यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता:**इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी निवासके स्थान की यात्रा के लिए वर्तमान नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता के हकदार होंगे।

(एफ) **सरकारी आवास प्रतिधारण (अपने पास बनाए रखना) :** योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक समय-समय पर यथासंशोधित वर्तमान नियमों के अनुसार सरकारी आवासअपने पास बनाए रखने के पात्र होंगे।

(जी) अन्य सुविधाएं/पात्रताएं (आवासीय टेलीफोन कनेक्शन, सेवानिवृत्ति- पश्चात चिकित्सा सुविधाएं आदि) समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार विद्यमान नियमों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होंगे।

7. प्रक्रिया:

(i) पात्र कार्मिक(कों)को योजना के अंतर्गत सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प निर्धारितअवधि के दौरान और योजना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

(ii) वे कार्मिक, जो विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं, उनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लेने का विकल्प स्वीकार किया जाएगा। अर्जित अवकाश नकदीकरण, स्थानांतरण अनुदान, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)/सीपीएफ तथा पेंशन, जैसा लागू हो, केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 69 के अनुसार अस्थायी रूप से जारी किए जाएंगे।

बशर्ते कि अनुग्रह राशि तथा ग्रेचुइटी का भुगतान विभागीय/ न्यायिक कार्यवाहियों के निर्णय तथा परिणाम के आधार पर जारी किया जाएगा।

(iii) इस योजना के अंतर्गत एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगाऔर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय संबंधित कार्मिक(कों) पर बाध्यकारी होगा।

बशर्ते किकार्मिक(कों) कोविकल्प देने की अंतिम तिथि तककिसी भी समय केवल एक बार विकल्प वापस लेने की अनुमति होगी।

आगे बशर्ते कि विकल्प वापस लेने का अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा तथा साथ ही लिखित प्रतिलिपि हस्ताक्षर करके देनी होगी।

(iv) इस योजना के अंतर्गत विकल्प की स्वीकृति के लिए प्राधिकारी खंड 3(सी) में परिभाषित सक्षम प्राधिकारी होंगे।

8. सामान्य शर्तें:

(i) यह योजना अपरक्राम्य(नॉट नेगोशिएबल)हैऔरयह किसीऔद्योगिक विवाद कामामला नहीं होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों पर कोई भर्ती नहीं की जाएगी तथा इन पदों को समाप्त कर दिया जाएगा।

(iii) इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त कार्मिक किसी अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में पुनः रोजगार के पात्र नहीं होंगे।

बशर्ते कि यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मेंपुनः रोजगार लेना चाहताहैतो ऐसे कार्मिकको ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व इस योजना के अंतर्गत प्राप्त पूरी अनुग्रह राशि एमटीएनएल को वापस करनी होगी। एमटीएनएल इस वापस की गई राशि को सरकार के पास जमा करेगा।

(iv) योजना के अंतर्गत एमटीएनएल द्वारा कार्मिक(कों) को देय सभी भुगतानऔर अन्य कोई हितलाभऐसे कार्मिक(कों)द्वारा एमटीएनएल को ऋणों, अग्रिमों, संपत्ति की वापसी और अन्य कोई भुगतान योग्य देयों के पूरे पूर्व निपटान/चुकौती के अधीन होंगे।

बशर्तेकि ऐसाकार्मिक एमटीएनएल को लंबित देयों का निपटान अनुग्रह राशि, उपदान अथवा अन्यसेवानिवृत्ति हितलाभों के भुगतान से किए जाने का विकल्प दे सकता है/सकती है।

(v) इसयोजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने के पश्चात किंतु सेवानिवृत्ति की प्रभावी तिथि से पूर्व किसीकार्मिक की मृत्यु की स्थिति में मृत कर्मचारी के परिवार/ कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुग्रह राशि काभुगतान नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि वर्तमान नियमों के अनुसार लागू अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों का भुगतान परिवार/ कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जाएगा।

(vi) योजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान, जहां भी लागू हो, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती के अधीन होंगे।

(vii) योजना के अंतर्गत कार्मिक के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को बिना कोई कारण बताएस्वीकार अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार होगा।

(viii) इसयोजना के अंतर्गत देय हितलाभ किसी भी प्रकार के सभीदावों का पूर्ण एवं अंतिम निपटान होंगे, चाहे वे इस योजना के अंतर्गत बन रहे हों अथवा अन्यथा।

(ix) इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाला/लेने वाली कार्मिक अथवा उनका परिवार अथवा कानूनी उत्तराधिकारी योजना के अंतर्गत हितलाभों को छोड़कर किसी दावे अथवा मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

9. इस योजना की किसी शर्त के अर्थ/व्याख्या के संबंध में कोई संदेह अथवा अस्पष्टता होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमटीएनएल का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

.....

एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019

आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में):

2.. पदनाम:

3. कर्मचारी (इंप्लाई) संख्या:

4. श्रेणी: कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक ग्रेड.....

5. जन्मतिथि (दिन/ माह/ वर्ष)

6. इकाई: दिल्ली मुंबई; महाप्रबंधक
इकाई......./अनुभाग.....

7. आवासीय पता (यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे दर्ज करें, पते का प्रमाण संलग्न करें):

8. फोन नंबर लैंडलाइन:
.....मोबाइल:.....

9. ई-मेलपता:

10.नौकरी शुरू करने की तिथि (दिन/ माह/ वर्ष): (एफएमएस/ ईआरपी द्वारा स्वत: अंकित)

11. वर्तमान मासिकपरिलब्धियां (कुल):
(ए) मूल वेतन:
(बी) महंगाई भत्ता:

12. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए आवेदन करते समय कार्मिक की वर्तमान स्थिति (संबंधित पर सही का चिह्न लगाएं) :
नियमित रूप से कार्यरत
विश्राम अवकाश (सबैटिकल लीव) पर (अवधि)
शिशु देखभाल अवकाश पर (अवधि)
अनधिकृत अवकाश पर (अवधि)
असाधारण अवकाश पर (अवधि)
अन्य संगठन में प्रतिनियुक्ति पर (अवधि)
एमटीएनएल की सहायक कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर (अवधि)
विदेश यात्रा के लिए अवकाश पर (अवधि)
किसी अन्य कारण पर

13. कार्मिक के लिए लागू पेंशन हितलाभों की प्रकृति
(ए) सरकार द्वारा भर्ती एमटीएनएल में विलयित:
(i) संयुक्त पेंशन विकल्पधारक

(ii) प्रोराटा पेंशन विकल्पधारक
(बी) एमटीएनएल द्वारा भर्ती किए गए

14. क्या कोई सतर्कता/ अनुशासनिक कार्यवाही लंबित अथवा अवेक्षित है अथवा कोई आपराधिक जांच (ट्रायल)/ अपराध लंबित अथवा अवेक्षित है?
(हां /नहीं)

15. क्या कार्मिक ने न्यायालय/ प्राधिकरण/ आयोग में एमटीएनएल के प्रबंधन के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर (फाइल) किया है? (हां/नहीं)

16. मैंएमटीएनएलको अपने लंबित देयों कानिपटारा अपने सेवानिवृत्तिहितलाभों से करने के लिए सहमत हूं। (हां/नहीं)

17. प्रमाणित किया जाता है कि:-
(ए) ऊपर दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार पूर्णतथा सत्य है।
(बी) मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजे सहितमुझे भुगतान योग्य राशियों में से वसूली किएजाने के लिए सहमत हूं, यदि किसी भीप्रकार के अधिक भुगतान किए गए हों, जिसमें वेतन एवं भत्ते अथवा अग्रिम, मकान किराया, पानी तथा बिजली प्रभार, कंपनी की संपत्तिइत्यादि की कोई वस्तु जो मुझे सौंपी गई हो परंतु लौटाई न गई हो, की वसूलीतथा अन्य विविध वसूली शामिल हैं।
(सी) मैं जानता हूं / जानती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि एवं समय के बाद आवेदनवापस नहीं लिया जा सकता।
(डी) मैं पूर्ण रूप से समझता हूं/ समझती हूं कि यदिऊपर दिया गया कोई दावा/ सूचना तथा विशेष रूप से बिंदु संख्या (14) तथा (15) में दी गई सूचना गलत पाई गई तो एमटीएनएल, एमटीएनएल के नियमोंके अनुसार कोई हितलाभ दिए बिना सेवा समाप्त करने सहित जैसा उचित समझे, मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
(ई) इस योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्तिलेने के लिए आवेदन अंतिम तथा वापस न लेने योग्य (इरिवोकेबल) है।
(एफ) मैं एतद्द्वारा ''एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019'' दिनांक: 04.11.2019 में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार कंपनी की सेवाओं सेस्वैच्छिक तथा बिना शर्त सेवानिवृत्ति का विकल्प देता हूं/देती हूं तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता हूं/ लेती हूं।
(जी) मैंने योजना को पूरी तरह से पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा उसमें बताए गए निबंधन एवं शर्तों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के बाद ही स्वेच्छा से उसका चयन कर रहा हूं/ कर रही हूं।

(_____) (_____)

नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरआवेदक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान
मोहर दिनांक: एफएमएस द्वारापहले से अंकित

(नोडल अधिकारी कृपया आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर कार्मिक से उस पर हस्ताक्षर करवाएं तथा कार्मिक को पावती दें)

पावती

श्री/श्रीमती/ सुश्री.....
कर्मचारीसं0.....जो
महाप्रबंधक.....इकाई.....(दिल्ली/ मुंबई)
के अंतर्गत कार्यरत हैं, ने एमटीएनएल ''स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019'' दिनांक: 04.11.2019 में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार दिनांक: .....को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए आवेदन पत्र जमा करवाया है।

(कार्मिक के हस्ताक्षर तिथि सहित) नोडल अधिकारी

(हस्ताक्षर मोहर सहित)

नाम स्पष्ट अक्षरों में:

कर्मचारी सं0:

महाप्रबंधक इकाई:

(आवेदन पत्र की पावती एसएमएस के माध्यम से भी दी जाएगी)